उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

लिखित याचिका सं 1126 /2009 (एस/एस)

विवेक सिंह

पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश सिंह r/o चारू कुंज स्टोनले कम्पाउंड तल्लीताल, नैनीताल

जिला नैनीताल।

..... .याचिकाकर्ता

बनाम

1. उत्तराखंड राज्य द्वारा सचिव स्थानीय प्राधिकरण (पर्यटन) उत्तराखंड शासन देहरादून

2. प्रबंध निदेशक कुमाऊं मंडल विकास निगम उत्तराखंड, नैनीताल।

.....प्रतिवादीगण

श्री A.D. त्रिपाठी, याचिकाकर्ता के वकील।

श्री U.K. उनियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संदीप कोठारी सहायक अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 2 के वकील अधिवक्ता

.श्री परेश त्रिपाठी, प्रतिवादी नं. 1 के अधिवक्ता

**माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, जे.**

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान के तहत याचिकाकर्ता को छंटनी किए गए कर्मचारी के रूप में घोषित करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को सरकारी आदेश जारी करने का आदेश देने की की मांग की है। प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को वेतन देने का निर्देश देने के लिए एक अग्रेतर परमादेश की मांग की गई गई है।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता सुना।

3. अनुलग्नक-1 का अवलोकन, जो सरकारी आदेश सं. 288/VI/2008-9 (5) 2007, दिनांक 20.11.2008 है, से पता चलता कि चार कर्मचारियों को हटा दिया गया था और कुल रु 8.31 लाख का भुगतान, उनके वेतन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण अवशिष्ट के संबंध में, किया जाना है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता उन चार कर्मचारियों में से एक है।

4. इस न्यायालय का ध्यान रिट याचिका के अनुलग्नक-4 की ओर भी आकर्षित किया गया है, जो पत्र सं. 8364, दिनांक 18.02.2009, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजा गया, जिसके तहत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे चार बर्खास्त बर्खास्त कर्मचारियों को ट्रांसकेबल्स लिमिटेड की इकाई से संबंधित घोषित करने के लिए घोषित करें। पत्र में अग्रेतर यह उल्लेख किया गया है गया है कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त कर्मचारी घोषित किया जाना था, वे कुमाऊं अनुसूचित जनजाति निगम के साथ काम कर रहे थे, जो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम की सहायक कंपनी थी।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात और अभिलेख पर दस्तावेजों को देखने के पश्चात इस रिट याचिका का संक्षिप्त निस्तारण किया जाता है कि प्रतिवादी नं 1, कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा सचिव, उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग को, के पत्र सं. 8364 दिनांकित 18.02.2009 पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की की तिथि के तीन महीने की अवधि के भीतर, निर्णय ले 1.

(प्रफुल्ल सी. पंत, जे.)

Dt: 19.11.2009

श्वेता